आवश्यक

# परिवहन निगम मुख्यालय
## लखनऊ

संख्याः-134 एफए/15-155एफए/98 दिनांकः 15 जनवरी,2016

1 प्रधान प्रबन्धक,
केन्द्रीय कार्यशाला/डा0राम मनोहर लोहिया कार्यशाला
उ0प्र0परिवहन निगम,कानपुर।
2 प्रधानाचार्य,प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0परिवहन निगम,कानपुर।
3 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0परिवहन निगम।
4 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त)/सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी,
उ0प्र0परिवहन निगम।
5 प्रबन्धक(आहरण-वितरण),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
मुख्यालय,लखनऊ।
6 प्रबन्धक,कारसेक्शन,
उ0प्र0 परिवहन निगम,लखनऊ।
7 अधिशासी अभियन्ता(पूर्व/पश्चिम)
निगम मुख्यालय,लखनऊ।

**विषय :- चिकित्सा एवं परिचर्या नियमावली 1994 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानो के अनुसार उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिको एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव की औपचारिकातायें ईकांई स्तर पर परीक्षण कर प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

---

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान इस कार्यालय के प्रेषित परिपत्र सं0-907एफए/15-155एफए/98 दिनांक 04.06.2015 एवं पत्र सं0-1417एफए/15-155एफए/98 दिनांक 21.08.2015 की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगां। उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा चिकित्सा एवं परिचर्या नियमावली 1994 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानो के अनुसार उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिको एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव की समस्त औपचारिकातायें पूर्ण कराकर मुख्यालय को अग्रसारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आपके स्तर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को बिना परीक्षण एवं औपचारिकता पूर्ण किये सीधे मुख्यालय को प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित किये जा रहे है। जिस पर मुख्यालय स्तर पर परीक्षण कर कमियां पाई जाने के कारण पुनः क्षेत्रो को प्रकरण को वापस करना पड़ता है जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है।

उक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 परिवहन निगम के कार्मिको एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव निम्न बिंदुओं की जांच एवं औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही मुख्यालय को अग्रसारित कराये।

1. मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, राजकीय चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा संदर्भ करने पर चिकित्सा नियमावली के संलग्नक-1 में दर्शायें गये प्रदेश में स्थित चिकित्सालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा अनुमन्य न होने की दशा में प्राधिकृत चिकित्सक के संदर्भ पर संलग्नक-1 में उल्लिखित चिकित्सालय के इतर चिकित्सालय में भर्ती होकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति राजकीय दरों पर अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त गम्भीर

Downloaded from www.upsrtc.com

रोग या व्याधि से पीड़ित होने की दशा में सक्षम चिकित्सक के परामर्श से विशिष्ट चिकित्सालय में संदर्भित करने पर चिकित्सा अनुमन्य होगी।

2. दुर्घटना व आपात की स्थिति में निकटतम चिकित्सालय/चिकित्सक से इलाज कराने पर विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी अस्पताल में लागू दरों के अनुसार देय होगी तथा आकस्मिकता की स्थिति समाप्त होते ही नियमावली के अन्य प्राविधानो के अनुसार राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा अनुमन्य होगी।
3. चिकित्सा परिचर्या नियमावली में दिये गये प्राविधानो के तहत गम्भीर बीमारी जैसे–कैंसर, दमा, क्षय रोग, गठिया, हृदय रोग, मधुमेह, एड्स, कुष्ठ, कुत्ते काटने एवं हड्डी आदि टूटने की दशा में जिसमें भर्ती होना संभव न हो एवं दीर्घकालीन उपचार कराये जाने की स्थिति में प्राधिकृत चिकित्सक की संस्तुति पर वाह्य उपचार से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के प्राविधानो के तहत अनुमन्य होगी।
4. प्रदेश के बाहर उन परिस्थितियो में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तभी अनुमन्य होगी, जब विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्रदेश के अन्दर उपलब्ध न हो अथवा प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा प्रदेश के बाहर चिकित्सा/शल्य चिकित्सा कराने की संस्तुति की गई हो।
5. भर्ती/वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराये जाने से सम्बन्धित डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/वाह्य पर्चे पर चिकित्सालय के सम्बन्धित चिकित्सक से बीमारी एवं दवाईयों आदि का स्पष्ट उल्लेख कराकर (Prescription) सहित प्रेषित करें।
6. चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत की दशा में उपचार की समाप्ति के 30 दिन के अंदर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु वाउचर किये जाये। यदि निर्धारित समायावधि के अंदर दावा न प्रस्तुत करने पर कारण स्पष्ट किया जाये। अन्यथा उस पर विचार नही किया जायेगा तथा अग्रिम धनराशि की वसूली कार्मिको के वेतन से की जायेगी।
7. मुख्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण हेतु अपने स्तर से भली भॉति जांच कराने के उपरांत ही अपनी आख्या/संस्तुति सहित चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।

अतः उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
वित्त नियंत्रक

Download free from www.upsrtc.com